न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 193 / 2024 अपील / राजसमंद (GCMS 2024/242)
पंजीयन दिनांक– 08.11.2024
निर्णय दिनांक– 31.07.2025

1. श्री बालु पिता लालू मेरात, निवासी शिवनगरी, तहसील व्यावर, जिला अजमेर, हाल जिला ब्यावर।

–अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती केलीदेवी पत्नि लक्ष्मण मेरात, निवासी शिवनगरी, हाल खेडा ढण्ड, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर, हाल जिला ब्यावर।
2. श्रीमती बदामीदेवी पत्नि कजाजी मेरात, निवासी खरेकडी, तहसील अजमेर, जिला अजमेर।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत डूंगरखेडा, तहसील भीम, जिला राजसमंद।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री कमलेश चौहान – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री योगेन्द्र दशोदा – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम,
जिला राजसमंद के प्रकरण संख्या 11 / 2011 निर्णय
दिनांक 04.05.2018

निर्णय

दिनांक 31 / 07 / 2025

प्रकरण में इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण संख्या 86 / 2023 अपील (शीर्षक वर्णित) अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत निर्णय दिनांक 09.07.2024 के विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत निगरानी प्रकरण संख्या

6248/2024 में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2024 से इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.2024 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर उभयपक्षों को सनुकर प्रकरण में गुणावगुण पर निस्तारण करने के निर्देशों की पालना में प्रकरण पुनः दिनांक 08.11.2024 को इस न्यायालय में दर्ज किया गया।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती केलीदेवी द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 श्रीमती बदामीदेवी एवं सरपंच के विरूद्ध ग्राम पंचायत डूंगरखेडा द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 188 दिनांक 21.09.2001 को निरस्त कराने बाबत अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम के समक्ष अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा बदनी, पटवार क्षेत्र डूंगरखेडा, तहसील भीम की सन् 1981 के खाता संख्या 26, 126, 127 एवं 128 की कृषि भूमि उसके पिता श्री मादू के नाम खातेदारी दर्ज थी। उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी माता श्रीमती नौजी द्वारा उक्त भूमियां का विरासत का नामांतरकरण संख्या 188 केवल उनके नाम पर स्वीकृत करा लिया, जबकि श्रीमती केली बाई व बदामीबाई उनकी जायंदा पुत्रियां होकर प्रथम श्रेणी की वारिसान होकर उनके नाम भी नामांतकरण स्वीकृत किया जाना था, जो नही किया गया, जबकि उनका उक्त भूमियों पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसे में नामांतरकरण संख्या 188 निरस्त कर उसके खाते में उक्त भूमि दर्ज की जावें।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04.05.2018 से निम्नानुसार निर्णय पारित किये हैः– ***"अतः अपील अपीलांट न्यायालय में विचाराधीन होकर इस प्रकार स्वीकार की जाती है कि नामांतरकरण संख्या 188 दिनांक 29.09.2001 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत डूंगरखेड़ा को निरस्त किया जाकर अपीलांट के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।"***

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र दशोदा उपस्थित।

प्रकरण में इसके साथ ही पक्षकरान् एवं उनके अधिवक्तागण द्वारा राजीनामा दिनांक 31.07.2025 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें राजीनामें के आधार पर (जो कि संलग्न होकर इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा, प्रति पत्रावली में संलग्न रहेगी) राजीनामा अनुसार राजीनामें में वर्णितानुसार पक्षकारान् अपनी–अपनी भूमि पर ही काबिज रहेंगे तथा दोनो पक्षों की सहमति है कि उक्त प्रकरण में राजीनामा होने से आगे काई कार्यवाही नहीं चाहते है। पक्षकारान् की पहचान उनके अधिवक्ताओं द्वारा की गई। पक्षकारान् को राजीनामा पढ़कर सुनाने पर उनके द्वारा राजीनामा सही होना स्वीकार किया। पत्रावली का रेकर्ड अवलोकन किया गया तो हम यह पाते है कि प्रकरण में विवाद के दृष्टिगत प्रकरण के नातिक निस्तारण के लिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.05.2018 को निरस्त करते हुए राजीनामा के आधार पर बाद जांच नियमानुसार नामांतरकरण की कार्यवाही किये जाने के लिए प्रकरण तहसीलदार, भीम को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत होगा।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान् की प्रार्थना स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.05.2018 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, भीम को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय की एक प्रति पत्रावली में शामिल हो तथा अधीनस्थ न्यायालय को इस न्यायालय के निर्णय की प्रति के साथ राजीनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित की जावें।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त
उदयपुर